राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.9(5)शिक्षा–5/ऑनलाईन मान्यता/2019–20 पार्ट–2 जयपुर,दिनांकः 29/5/19

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

विषयः– गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को शैक्षिक सत्र 2019–20 में क्रमोन्नति एवं अन्य मान्यता संबंधित ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान करने हेतु पोर्टल खोलने के संबंध में।

संदर्भः– निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को पत्रांक शिविरा–मा/पीएसपी–सी/अ–2/60566/2019–20 दिनांक 21.05.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को शैक्षिक सत्र 2019–20 में क्रमोन्नति एवं अन्य मान्यता संबंधित ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में ऑनलाइन पोर्टल को निम्न वर्णित टाइम फ्रेम के अनुसार खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

क.सं.	गतिविधि	टाइम फ्रेम	संबंधित कार्यालय
1.	दिनांक 20.03.2019 तक विलम्ब शुल्क सहित आवेदन करने वाले एवं दिनांक 22.03.2019 तक हार्ड कापी जमा कराने वाले विद्यालयों के आवेदन पत्रों की जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन जॉच, सत्यापन दलों का गठन एवं संस्थाओं का भौतिक सत्यापन	30 मई से 04 जून 2019 तक	संबंधित जिशिअ. कार्यालय
2.	मान्यताओं का निदेशालय से अनुमोदन किया जाना	12 जून 2019 तक	संबंधित निदेशालय
3	संस्थाओं के मान्यता के योग्य पाए जाने की स्थिति में आरक्षित कोष की राशि के डीडी. व फिक्सड् डिपोजिट का विवरण व दस्तावेज प्राप्त करना	18 जून 2019 तक	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/ निदेशालय
4	मान्यता प्रमाण पत्र जारी कर विद्यालयों को उपलब्ध करवाना	20 जून 2019 तक	संबंधित जिशिअ. कार्यालय
5	मान्यता के लिये अपात्र पायी गयी संस्थाओं को पत्र प्रेषित कर सूचित करना एवं एनआईसी के माध्यम से सूचित कराना	21 जून 2019 तक	संबंधित जिशिअ. कार्यालय
6	पुनः निरीक्षण हेतु आवेदन शुल्क रूपये 10,000/– सहित परिवेदना निदेशक को प्रस्तुत करना (शुल्क का ड्राफ्ट संबंधित निदेशक माशि. के नाम)	28 जून 2019 तक	संबंधित संस्था, निदेशालय
7.	पुनः निरीक्षण के प्रकरणों के निस्तारण की समस्त कार्यवाही सम्पादित करना	07 जुलाई 2019 तक	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/ निदेशालय

भवदीय,
29/05/19
(महेश कुमार गेरयानी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि तकनीकी निदेशक, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त वर्णित टाईम फ्रेम के अनुसार मान्यता पोर्टल खोलने की व्यवस्था करावे।

सहायक शासन सचिव

D:\Ajay\AJAY\manyta latter